

NOTICE

Date : 20.06.2020

As per the letter of DEO dated 17/06/2020 the parents are informed that the School Fee of your ward is **postponed**. Regarding this information will be given later on.



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.ग.)



website-www.deoraipur.com, Email-deoraipurict@gmail.com, rmsaraipur@gmail.com
Phone No. - 0771-4002697

ज्ञाप क्र./मान्यता /2020/2733

रायपुर, दिनांक : 17/06/2020

प्रति,

प्राचार्य/प्रबंधक,
समस्त अशासकीय प्राईमरी/मिडिल/हा.स्कूल/हाई.से.स्कूल
जिला रायपुर (छ.ग.)

विषय :- लॉकडाउन की अवधि में फीस वसूल किये जाने के संबंध में ।
संदर्भ :- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग. का पत्र क्रमांक/09/विद्या/2020-21
नवा रायपुर दिनांक 01.04.2020 ।

— :: 00 :: —

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित का अवलोकन करना चाहें । उपरोक्त पत्र द्वारा "सभी शालाएँ लॉकडाउन की अवधि में स्कूल फीस वसूली स्थगित रखें, जिससे की पालकों एवं बच्चों को अनावश्यक परेशानी न हो" निर्देश जारी किया गया है । परन्तु संज्ञान में आया है कि निजी विद्यालयों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन न करते हुए पालकों के मोबाईल में फीस भुगतान किये जाने संबंधी संदेश भेजा जा रहा है, जो कि शासन द्वारा जारी संदर्भित निर्देश की अवहेलना है । अतः पत्र के माध्य से समस्त निजी विद्यालयों को निम्नानुसार निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करे ।

1. लॉकडाउन की अवधि में किसी भी पालक को लिखित रूप में अथवा मोबाईल के माध्यम से स्कूल फीस वसूली हेतु संदेश नहीं प्रसारित नहीं किया जावे ।
2. निजी स्कूल में किसी भी प्रकार की सामूहिक रूप से पालकों की बैठक नहीं कराई जावे ।
3. आनलाईन शिक्षा प्रणाली हेतु पालकों से शिक्षा शुल्क नहीं लिया जावे ।

उपरोक्त निर्देशों का समस्त निजी विद्यालय कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करे यदि कोई निजी विद्यालय इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उक्त विद्यालय के विरुद्ध विश्व आपदा प्रबंधन की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी ।

जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 17/06/2020

पृष्ठां.क्र./मान्यता / 2020/2734

प्रतिलिपि :

- 1- समस्त बोर्डल अधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.ग.)